# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं.388 / अपील / 2018<br>( GCMS No. 2018 / 00669 ) | 10.12.2018 | 19.02.2024 |

1. लक्ष्मीचंद आ. गुलाबचंद जाति कोली निवासी बून्दी
   हाल शिवजी नगर, आदर्श नगर, अजमेर
2. श्रीमती मंजू पुत्री गुलाबचंद पत्नी हेमराज कोली,
   निवासी कोली मोहल्ला, बडी मस्जिद, सुकेत
3. श्रीमती विमला पुत्री गुलाबचंद पत्नी बिरधीलाल कोली,
   निवासी गुरूनानक कालोनी, बून्दी
4. श्रीमती मोहनी बाई विधवा गुलाबचंद कोली
   निवासी मनोहर बावडी, ब्रहमपुरी, बून्दी (जिला बून्दी)

– अपीलांट

बनाम

1. छोटा पुत्री हरदेव जाति नायक निवासी दुगारी, जिला बून्दी
   (मृतक जरिये कायम मुकाम) –
   1/1 सुमेर पुत्र माता स्व. छोटा निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
   1/2 श्रीमती रतनदेवी पुत्री माता स्व. छोटा जाति नायक
   नि. दीगोद, तह.माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. सीता पुत्री हरदेव पत्नी देवीलाल नायक, बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. हेमा पुत्री नारायण जाति नायक निवासी बून्दी
4. जगदीश पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
5. मांगीबाई पत्नी रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
6. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
7. सरोज पुत्री रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
8. रघुवीर पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
9. गोविन्द पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
10. केसर पुत्री रामनारायण पत्नी रामप्रसाद जाति नायक निवासी
    ग्राम रघुवीरपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
11. चेतराम पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
12. रामपति पुत्री रामनारायण पत्नी प्रहलाद जाति नायक निवासी मोरपा
    तहसील दीगोद, जिला कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

13. थानमल पुत्र रामनारायण जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
14. रामकिशन पुत्र खाना जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
15. रमेश पुत्र खाना जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
16. तेजमल पुत्र खाना जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
17. राजमल पुत्र खाना जाति नायक निवासी रघुवीरपुरा जिला बून्दी
18. संतोष पुत्री खाना पत्नी सत्यनारायण जाति नायक निवासी बून्दी
19. द्वारक्या पुत्री खाना पत्नी रमेश जाति नायक निवासी बेगूं
20. प्रेम पुत्री खाना पत्नी तुलसीराम जाति नायक निवासी बून्दी
21. मंजू पुत्री दल्लू पत्नी कान्हा जाति नायक निवासी मेघारावत की झौपडिया, तहसील व जिला बून्दी
22. सुरेश आ. गुलाबचंद जाति कोली निवासी मनोहर बावडी, बून्दी
23. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।
रेस्पो.सं. 23 की ओर से पेरोकार सरकार

## निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 28.12.2001 ग्राम रघुवीरपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार हरदेव नायक के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर पूर्व में 185/2014 पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अपील दिनांक 20.07.2015 को गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये मियाद बाहर पेश होना मानकर खारिज किया गया था। इस न्यायालय के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा के यहां अपील संख्या 42/2016 पेश की गई, जिसमें माननीय उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2018 को अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये इस न्यायालय का आदेश दिनांक 20.07.2015 को अपास्त कर दिया गया। साथ ही प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील रिमांड होकर यहां प्राप्त होने पर क्रमांक 388/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2018/00669 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। वकील अपीलांटस दिनांक 10.12.2018 को उपस्थित न्यायालय आये। रेस्पो0 जरिये सम्मन पुनः आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1, 2, 14, 15, 17, 18, 19, 20 की ओर से दिनांक 26.03.19 को वकील श्री कपिल सैनी उपस्थित न्यायालय आये। दिनांक 31.3.21 को रेस्पो. सं. 4,13,14 की ओर से वकालतनामा वकील श्री सुनील कुमार शर्मा का पेश हुआ। इसी दौरान रेस्पो.सं.1 छोटा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान रेस्पो.सं. 1/1 एवं 1/2 को अपील में कायम मुकाम बनाया गया। बावजूद सूचना रेस्पो.सं.1/1 लगायत 22 के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय बहस वकील अपीलांटस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 30 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 31 रकबा 3 बीघा, खसरा सं. 35 रकबा 3 बीघा किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम रघुवीरपुरा में विस्थित है। उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.1992 को खातेदार हरदेव नायक ने अपीलांटस के पिता व पति गुलाबचंद को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त बेचान के आधार पर अपीलांटस के पिता गुलाबचंद व उनके देहान्त के पश्चात् अपीलांटस उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिये जाने से हरदेव का उक्त भूमि पर अधिकार समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी तहसीलदार बून्दी द्वारा हरदेव नायक के फौत हो जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अस्तित्व होने के उपरांत भी अपीलांटस को सुने बिना ही उसके वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तकरण सं. 269 दिनांक 28.12.2001 तस्दीक किया गया। हरदेव के फोत होने के उपरांत क्षेत्राधिकार प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत को था, ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार से बाहर तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर अपीलांटस एवं रेस्पो.सं. 22 सुरेश के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील अपीलांटस पर मनन किया। हस्तगत अपील अति. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा द्वारा अवधि मध्य मानी जा चुकी है जो गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड होकर यहा प्राप्त हुई है। अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट आया कि ग्राम रघुवीरपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित कृषि भूमि कुल रकबा 46 बीघा 08 बिस्वा हरदेव पि. मांगीलाल कौम नायक की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार हरदेव के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 28.12.2001 को तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि उक्त भूमि उसके पिता/पति गुलाबचंद को

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, इसके बावजूद भी उक्त आराजी पर खातेदार हरदेव के फोत होने पर अपीलांटस को सुने बिना ही फोती नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो अवैध होने से खारिज किया जावे। साथ ही अपीलांटस द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। उक्त मूल राजस्व वाद के निस्तारण के अनुसार पक्षकारान के हक अधिकारों का अंतिम निर्धारण होना है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटस द्वारा नियमित वाद के निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.08.2018 में उल्लेखित किया है कि विवादित आराजी हरदेव ने अपीलांट के पिता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.09.92 का बेचान कर दिया था तब से ही अपीलांटस के पिता व उनके देहान्त के बाद अपीलांटस काबिज चले आ रहे है। इसके बावजूद भी अपीलांटस को सुने बिना तहसीलदार द्वारा नामा0सं0 269 तस्दीक कर दिया जो पूर्णरूप से विधि विपरीत एवं अवैध था क्योंकि हरदेव के फोत होने के उपरांत क्षेत्राधिकार प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत को था, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार से परे होने से काबिल निरस्तनीय था। इस प्रकार उक्त न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से बाधित मानते हुये अपील में मियाद के बिन्दू बाधक नहीं होना माना गया है, किन्तु यहां उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि खातेदार हरदेव की मृत्यु इस दिनांक को हुई है। हरदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों के अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार की मृत्यु के 45 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण करते हुये तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांटस की ओर से ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे बेचान के आधार पर नामान्तरकरण केता गुलाबचंद के पक्ष में दर्ज किये जाने हेतु विक्रय पत्र यथासमय तहसीलदार बून्दी या सक्षम स्तर पर पेश कर दिया हो, इसके बावजूद भी तहसीलदार बून्दी द्वारा विक्रय पत्र को नजरंदाज करते हुये विरासतन नामान्तरकरण मृतक खातेदार हरदेव के वारिसान के पक्ष में तस्दीक कर दिया हो। ऐसी दशा में अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण मृतक खातेदार के वारिसान के पक्ष में नियमानुसार तस्दीक किये जाने से इसमें कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि अपीलांटस द्वारा अपने पिता गुलाबचंद के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित होना मानते हुये उक्त विरासतन नामान्तरकरण संख्या 269 को हस्तगत अपील में चुनौती दी है, किन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण कार्यवाही हैं इससे किसी के हक, अधिकार, स्वत्व तय नहीं होते है। ऐसे में यह उचित प्रतीत होता है कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का वाद लाकर अपीलांटस को अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहिए। दौराने बहस वकील अपीलांटस द्वारा पेश किये गये जवाब दावा दिनांक 25.10.2017 वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट राजस्व वाद संख्या 64/2008 बउनवान छोटा वगै. बनाम अमनदीप सिंह वगै. के अवलोकन से उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां नियमित वाद विचाराधीन होना प्रकट है। उक्त नियमित राजस्व वाद में पक्षकारान से विस्तृत साक्ष्य आदि ली जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना है, इस प्रकार पक्षकारों के अधिकारों का वहां पर अंतिम रूप से निर्धारण हो सकेगा। ऐसे में अपीलांटस को लम्बित राजस्व वाद में सक्षम न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को विचाराधीन नियमित राजस्व वाद के निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी